राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.4(ई) / (एस–36 / 2023) / अलेसे–III / 7620 दिनांक :– 19/09/2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकर (सर्वश्री)	वर्तमान कार्यालय	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था
1.	सुरेश चन्द (रोल नं. 704169)	कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अजमेर	एम.कॉम फाईनल 2025–26(EAFM) (स्वयं पाठी)	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ.4(ई) / (एस–36 / 2023) / अलेसे–III / 7620 दिनांक :– 19/09/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अजमेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री, सुरेश चन्द, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अजमेर।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)

E:\PRIYANKA\ORDER.DOCX :- 61